

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक—.....१२.४३..... / न०नि०

सेवा में,

श्री ...मनोज मोटी... , निदेशक, आलोकिक सुख्याम इन्फ्रा प्रूफिलिंग डेवलपर्स ई
एम्ब्रियो—श्री...उमेश कुमार तुलाधार एवं अन्य पिता—श्री सनधर प्र० मोटी,
स्टेट—श्री...शत्रुघ्नी राधेणु कुमार, एकान्त अपार्टमेंट काली मंदिर रोड,
बैकास्थगन्धी, धनबाद—

धनबाद, दिनांक ११/११/१०

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं० बी०डी०-५७५/१०—। संबंधी आपके आवेदन दिनांक १०.१०.१० के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या—..... १८५४, १८१६, १८१७	दाखिल खारिज अभिलेख
संख्या—..... १९११.११११९०-९१, १९०१.११११९०-९१	जमाबंदी संख्या २५८, २५७
लगान रसीद वर्ष १०-११	से निर्गत

एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी०डी० केश नं० ५७५/१०-११	की अभिप्रामाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond
	के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि.....सुसन्तीलेष्टा

मौजा अन्तर्गत खाता नं० ४६

प्लॉट नं० १३३, १३६

रकवा २५२००प०का०

भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री ...आनिल कुमार चौधरी निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बैगेर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेंगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

मात्रा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

३०-११-०

नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,

४८८१० धनबाद।

३०-११-०